झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 3815/2017

प्रकाश महतो. पिता- स्वर्गीय हरिहर महतो, निवासी गाँव एवं डाकघर- चित्तरपुर, थाना- राजजरप्पा, जिला- रामगढ़ ...याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. सचिव, सड़क परिवहन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, नई दिल्ली, कार्यालय- अशोक नगर, डाकघर और थाना- अरगोड़ा, जिला- रांची

3. मुख्य अभियंता, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, नई दिल्ली, कार्यालय- अशोक नगर, डाकघर और थाना- अरगोड़ा, जिला- रांची

4.उपायुक्त, रामगढ़, डाकघर,थाना और जिला- रामगढ़

5. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रामगढ़, डाकघर,थाना और जिला- रामगढ़

6. अतिरिक्त कलेक्टर, रामगढ़, डाकघर,थाना और जिला- रामगढ़

7. अंचल अधिकारी, चितरपुर, डाकघर- चितरपुर, थाना और जिला- रामगढ

...प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अमित कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादीगणों के लिए: सुश्री खुशबू कटरुका, अधिवक्ता

श्री शुभम कटारुका, सहायक अधिवक्ता सुश्री खुशबू कटारुका, अधिवक्ता के लिए

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. याचिककर्ता के विद्वान वकील ने को एक नया प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इस याचिका को वापस लेने के लिए अदालत की अनुमति मांगी है कि अपने सभी दस्तावेजों के साथ, प्रतिवादी नंबर 5 को अपने सभी दस्तावेजों के साथ नए सिरे से प्रतिनिधित्व, उसकी अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का दावा करते हुए और प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी नंबर 5 को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर उसी पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

3. प्रतिवादीगणों के विद्वान वकील को कोई आपत्ति नहीं है।

4. इस मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा को तीन सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 5 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है और यदि याचिकाकर्ता द्वारा तीन सप्ताह के भीतर ऐसा प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी नंबर 5 को कानून के अनुसार एक स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, इस तरह के अभ्यावेदन पर, इस तरह के प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर।

5. इस रिट याचिका का निपटारा तदनुसार किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक, 21 मार्च, 2024

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।

स्मिता/एएफआर